(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 92 / 2015

बउनवान

हरिबल्लभ आयु 74 वर्ष पुत्र बद्रीदास जाति बेरागी निवासी छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद

2– राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर, जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 689 दि. 26.07.1982 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :– 1. श्री रमेश चन्द गोयल अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2)

निर्णय दिनांक 19.08.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबडौद जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबडौद जिला बारॉ निरस्त करवाकर अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज करने हेतु अपील प्रस्तुत कर निवेदन करते है :–

कस्बा छीपाबडौद जिला बारॉ मे खसरा नम्बर 603 रकबा 6 बिस्बा, खसरा नम्बर 606 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 / 1288 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 / 1289 रकबा 5 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। जो ब्रदीदास पुत्र गोपीदास जाति बैरागी के नाम पर खाते दर्ज चली आ रही थी। लेकिन अपीलांट के पिताजी मन्दिर पुजारी थे, जिनके पास मन्दिर माफी की अन्य भूमिया थी। जो राज्य सरकार के आदेश से सन् 65 से पूर्व पुजारी के नाम खाता दर्ज से हटाकर मन्दिर माफी श्री रामचन्द्र जी विराजमान खाते दर्ज कर दी गई थी।

अपीलांट के पिताजी के स्वंय के खाते की आराजी 2 बीघा 01 बिस्वा का मन्दिर के नाम खाते दर्ज होने का मालुम होने पर उन्होने न्यायालय सहायक कलेक्टर छबडा मे वाद प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.1966 को पूर्व का इन्द्रांज मन्दिर माफी रामचन्द्र जी महाराज को निरस्त कर अपीलांट के पिताजी बद्रीदास पुत्र गोपीदास बेरागी निवासी छीपाबडौद के खाते दर्ज होने का आदेश पारित किया गया।

जिला कलक्टर कोटा के आदेशानुसार सन् 1982 मे हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल नम्बर 147 दिनांक 31.3.1966 को निरस्त कर, दिनांक 26.7.1982 को इंतकाल नम्बर 689 खोलकर अपीलांट के पिताजी बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी निवासी छीपाबडौद को खारिज कर, मन्दिर श्री रामचन्द्र जी महाराज के नाम खाते दर्ज कर दिया। जबकि उक्त आराजी अपीलांट के पूर्वजो की स्वंय की थी। जो गलत रूप से मन्दिर माफी दर्ज हो गई है।

अपीलांट उक्त आराजी का 100 वर्षो से भी अधिक समय से रजिस्टर्ड खातेदार है। जिसे अवैध रूप से अपीलांट के खाते से हटाकर मन्दिर माफी दर्ज की गई है। जिसे निरस्त करवा कर अपीलांट स्वंय के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 18.05.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से पत्रांक/भू.राजस्व/2015/3456 दि. 9.11.2015 से जवाब प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि इस इंतकाल से ग्राम छीपाबडौद की बद्रीदास पुत्र गोपीदास पिता अपीलांट के खाते की 11 किता 25 बीघा 11 बिस्वा भूमि को श्री रामचन्द्र जी के खाते दर्ज की है। इस भूमि मे से केवल खसरा नम्बर 603 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 606 रकबा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 404/1288 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 608/1289 रकबा 5 बिस्वा कुल 4 किता 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि बाबत यह अपील है।

उक्त 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि मूर्ति श्री रामचन्द्र जी की भूमि नही है, पहले यह भूमि मूर्ति के खाते गलत दर्ज कर दी थी। इसलिये अपीलांट के पिता बद्रीदास ने न्यायालय सहायक कलक्टर छबडा के यहॉ धारा 15,88,89 राज.टे.एक्ट के तहत सरकार के विरूद्व दावा किया, जो न्यायालय द्वारा डिग्री किया तथा भूमिया अपीलांट के पिता के खाते दर्ज करने का निर्णय देकर डिग्री किया गया था। न्यायालय से डिग्री करने का अंकन इंतकाल नम्बर 147 दि. 31.3.1966 मे है। इसलिये यह भूमि मूर्ति के खाते से हटाकर वापस अपीलांट के पिता बद्रीदास के खाते दिनांक 31.3.1966 को दर्ज की गई। इसे अपीलांट की प्रस्तुत अपील मे उपर अंकित 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि की सीमा तक निरस्त किया जावे। इस इंतकाल मे भी कब्जा पुजारी बद्रीदास अंकित है। अपीलांट ने जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 पेशी की जिसमे न्यायालय सहायक कलक्टर छबडा के निर्णय से खाते बाधने का अंकन है तथा कब्जा बद्रीदास पुजारी का होना अंकित है, जमाबन्दी सम्वत् 2024–2026, सम्वत् 2028–30, सम्वत् 2032–2035 मे बद्रीदास के खाते दर्ज है।

उक्त भूमि न्यायालय की डिग्री से अपीलांट के पिता के खाते दर्ज हुई, इसलिये यदि सरकार को इसमे आपत्तियॉ थी, तो उन्हे राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ अपील प्रस्तुत करना था, जो नही की गई। न्यायालय की डिग्री को तहसीलदार इन्तकाल खोलकर निरस्त नही कर सकता, इंतकाल अवैध है। यदि तहसीलदार साहब को अपीलांट के पिता का नाम हटाना था, तो उन्हे राजस्व मण्डल मे रेफरेंस प्रस्तुत करना था, जो भी उन्होने नही किया। भूमि मूर्ति स्वंय के कब्जे मे कभी नही रही। जागीर रिजमशन के समय व राज. टेनेन्सी एक्ट लागू होने के समय भूमि मूर्ति के कब्जो मे थी, ऐसा कोई रिकार्ड भी सरकार ने पेश नही किया।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे निम्न विधिक दृष्टांत RRD-14.1.2013 पेज नं. 45 State of Raj V/S L.Rs. of Lalu & ors. एवं RRT- 2014-15 (Supp.) पेज नं. 138 Stata of Raj V/S Virendra Kumar एवं RRD- 14.6.2017 पेज नं. 364 State of Raj V/S Kailash & ors. भी पेश किये गये। जिनमे यह स्पष्ट दिशा निर्देश है कि भूमि मूर्ति के खुद काश्त मे नही होने से कब्जेधारी के खाते मे दर्ज होगी। उक्त भूमि उसी के खाते दर्ज की जानी चाहिये, जिसका कब्जा है, न्यायालय सहायक कलक्टर छबडा ने अपीलांट के कब्जा होने से मूर्ति के स्थान पर अपीलांट के पिता के खाते दर्ज की है। इस इंतकाल को खाले जाने की अपीलांट के पिता को कोई सूचना नही दी। अपीलांट को इंतकाल की जानकारी मिलने पर उसने यह अपील पेश की है। इंतकाल अवैध है, जो न्यायालय द्वारा डिग्री की अवहेलना कर तथा न्यायालय की अवमानना कर खोला गया है। अवैध कार्य को निरस्त कराने के लिये अपील जानकारी मिलने पर कभी भी की जा सकती है। इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.7.1982 को अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि उक्त 2 बीघा 1 बिस्वा के बाबत निरस्त किया जाना चाहिये।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दु संख्या 1 अस्वीकार है वाद के इस बिन्दु मे वर्णित भूमि ग्राम छीपाबडौद जिला बारॉ के खसरा नम्बर 603 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 606 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 604/1288 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 608/1289 रकबा 05 बिस्वा किता 4 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2013 से 2032 तक मे श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के खसरा नम्बर 604 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज खाता संख्या 283 है। पुजारी बद्रीदास का देहान्त हो चुका है जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर नही लिए गये है।

अपील का बिन्दु संख्या 2 मे खाता संख्या 243 मे दर्ज भूमि रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा को नामान्तरण संख्या 147 दिनांक 31.3.1966 से बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। जो विधि विरूद्व था, क्योकि उक्त भूमि माफी मन्दिर की थी। अतः उक्त नामान्तरण खारिज योग्य था।

अपील का बिन्दु संख्या 3 भूमि माफी मन्दिर श्री रामचन्द्र विराजमान सा0 देह की थी, जो सेटलमेन्ट के समय से ही मन्दिर के नाम दर्ज थी, उसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदास के नाम दर्ज कर दी गयी है, जो विधि विरूद्व था। नामान्तरण संख्या 689 दिनांक 26.7.1982 से उक्त भूमि को श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी मे नाम दर्ज कर दिया गया था। जो आंशिक रूप से सही था। उक्त भूमि माफी की है। अतः भूमि को रामचन्द्र जी महाराज विराजमान सा0 देह के नाम से दर्ज फरमावे। पुजारी का नाम हटाया जाना उचित होगा।

अपील का बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय से मन्दिर रामचन्द्र जी महाराज के नाम दर्ज चली आ रही थी, जिसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदा के नाम दर्ज कर दी गई थी। जो विधि विरूद्व थी। जो पुनः नामान्तरण संख्या 689 से श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0 देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। पुजारी का नाम हटाया जाना उचित होगा।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे नामान्तरकरण संख्या 689 दिनांक 26.7.1982 को दर्ज किया गया था। जिसको लगभग 33 वर्ष हो गये है। जो मियाद बाहर है। अतः अपील न्यायालय मे चलने योग्य नही है खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा इन्तकाल नंबर 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबडौद, तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई ओर अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त इंतकाल की प्रमाणित प्रति एवं प्रस्तुत अपील पर जवाब का अवलोकन से पाया गया, जिससे पाया गया कि उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड मे मंदिर के नाम है। उक्त विवादित भूमि जागीर अधिनियम 1952 के तहत जागीर भूमि राजस्व रिकार्ड मे नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियो मे कब्जा पुजारी बद्रीदास लिखा हुआ है। अपीलांट के पिता बद्रीदास खातेदार कृषक के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे नही रहे है, मात्र कब्जेदार रहे है। इसलिये अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत इस अपील पर चस्पा नही होते है।

उक्त इंतकाल की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे 33 वर्ष बाद काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है ओर लिमिटेशन के बिन्दु पर कोई चाराजोही भी नही की गई है। इसमे अपीलांट की लापरवाही ही दृष्टिगोचर होती है, लापरवाह पक्षकार के प्रति नरमी का रूख नही अपनाया जा सकता। अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण बताया जाना आवश्यक होता है।

न्यायिक दृष्टान्तों WLC 2012 (1) पेज 759, WLC 2012 (4) पेज 163, WLC (राज) U.C. 2000 पेज 638 तथा RLW 1978 पेज 151 मे प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अपीलार्थी अपनी अपील के प्रति सजग नही रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे अपील प्रस्तुत करने मे हुई 33 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से हम यह अपील खारिज करना उचित समझते है।

पेरोकार सरकार के कथन है कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2013 से 2032 तक मे श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के खसरा नम्बर 604 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज खाता संख्या 283 है। पुजारी बद्रीदास का देहान्त हो चुका है जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर नही लिए गये है।

अपील का बिन्दु संख्या 2 मे खाता संख्या 243 मे दर्ज भूमि रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा को नामान्तरण संख्या 147 दिनांक 31.3.1966 से बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। जो विधि विरूद्व था, क्योकि उक्त भूमि माफी मन्दिर की थी। अतः उक्त नामान्तरण खारिज योग्य था।

अपील का बिन्दु संख्या 3 भूमि माफी मन्दिर श्री रामचन्द्र विराजमान सा0 देह की थी, जो सेटलमेन्ट के समय से ही मन्दिर के नाम दर्ज थी, उसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदास के नाम दर्ज कर दी गयी है, जो विधि विरूद्व था। नामान्तरण संख्या 689 दिनांक 26.7.1982 से उक्त भूमि को श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी मे नाम दर्ज कर दिया गया था। जो आंशिक रूप से सही था। उक्त भूमि माफी की है। जिससे हम पूर्णतया सहमत है। अतः यह धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

1. अपीलांट का Locus Standii केवल कब्जेदार का ही है।
2. प्रस्तुत अपील मे अभिवचनो/लिमिटेशन प्रार्थना पत्र की ताईद मे कोई शपथ पत्र भी संलग्न नही किया गया है।
3. भूमि मंदिर मूर्ति के नाम से रिकार्ड मे रही है, जो कि शाश्वत नाबालिग है।
4. शिकमी काश्तकार संबंधी प्रावधान विचाराधीन प्रकरण पर लागू नही होते है।

अपीलांट हरिबल्लभ पुत्र बद्रीलाल बैरागी निवासी छीपाबडौद कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। इंतकाल की कार्यवाही में किसी के हित व स्वत्व निहित नहीं किये जा सकते हैं। इंतकाल कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है।

चूंकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील की ताईद मे कोई भी विधिक तथ्य प्रस्तुत करने मे विफल रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के अनुरूप खोले गये इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.7.1982 कस्बा छीपाबडौद मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलांट असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.22 16:16:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: